

प्रार्थना पत्र संख्या 77/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
---------------------------	----------------------

यह वाद/प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर सुनवाई हेतु अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 07-6-2019 को पेश हो।

UP
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

7/6/19

पत्रावली पेश हुई रानील जापो
रानील जापो स। ता पकी
कोर से एडो श्री मुलचन्द बाबू
ने दकालतगाम पेश किया। पचाव
दोग घाटे है समय प्रदान किया
जाकर पत्रावली दिनांक - 10/6/19 को पेश हो

UP
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

10/6/19 पत्रावली पेश हुई। वकील जापो स।

पत्रावली पूर्वानुसार बास्तो तलबी/जवाब
दिनांक 14/6/19 को पेश

UP
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

14/6/19

पत्रावली पेश हुई रानील जापो उपख
रानील जापो स। ता पकी अधिकृतगाम उपखण्ड
रानील जापो स। ता पकी कोर से एडो श्री-
रानील जापो ने दकालतगाम पेश किया जो
शामिल रहे तथा एडो रानील जापो ने
प्रस्तुत एक जापो स। ता पकी का पेश
किया जिसमें अंकित किया कि जापो
की खातेदारी भूमि रानील जापो 98 रानील जापो 0.0600
गाम जयसिंहपुरा में स्थित है। अतः भूमि
जयसिंहपुरा, मानपुरा व सुन्दरपुरा की
कांफेड है जापो की खातेदारी भूमि से
लवाते रानील जापो की खातेदारी भूमि रानील जापो

ग्राम सुन्दरपुरा में स्थित हो सीमा का विवाद है, जोत ग्राम सुन्दरपुरा के ख. नं. ७१ व प्राप्ति की खातेदारी भूमि ख. नं. ९४ ग्राम लक्ष्मीपुरा की पटपरगवी एक लक्ष करत हेतु निर्देश किया।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की सहित प्राप्ति के तहत धारा 120 के अन्तर्गत सुनी गई है तथा सुनने व पत्रादली का निर्माण करत पर प्राप्ति हस्त प्रस्तुत प्राप्ति धारा 120 के अन्तर्गत व 151 के अन्तर्गत की रबीका किया जाना उचित समझते हैं।

नोट: उपरोक्त आवाज में सम्बन्धित प्रकरण के क्रम में तहसीलदार जमवाराम के कोर्टोन्स किया जाना है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा के ख. नं. ९४ व सुन्दरपुरा के ख. नं. ७१ पर यदि किसी को न्यायालय का स्थान कोर्टोन्स का लेना होगा स्वयं नम्बरों की दोनों पक्षों की मौजूदगी में सुनने पटपरगवी करत सुनिश्चित करें। पत्रादली फेराल प्रकृत लेकर नम्बर से करत वाद की वही उपर हो।

निर्णय का दिनांक 14/6/2019 को सुनने न्यायालय सुनने बाप।

उपखण्ड अधिकारी
जमवाराम

